# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल** आर.ए.एस.

**प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/2025**

प्रविन्दर सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

—अप्रार्थी

**–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्व रिकार्ड दुरूस्त बाबत ::–**

**–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–**

1. श्री चानणराम अधिवक्ता —— प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी सं. 1

**–:: निर्णय :–**

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

**दिनांकः–** 03/09/2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री चानणराम द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अकित है। यह कि प्रार्थी के नाम से मु0 खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 बीएलडब्ल्यू के खाता संख्या 124/51 के पत्थर नंबर 33/240 (12) के किला नंबर 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 19 ता 21/1व पत्थर नंबर 34/240 (13) किला नंबर 1, 2/1, 16/5, 16/6, 21 ता 24 की इस प्रकार कुल 4.9075 है0 में से प्रार्थी 369/3926 नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता खातेदारी व खाता सख्या 46/23 पत्थर नंबर 35/247 (43) किला नंबर 3/1, 8 व पत्थर नंबर 36/246 (41) किला नंबर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 2.720 है0 में से 1/2 हिस्सा अनकमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का नाम परमिन्दर सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह दर्ज है। जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी के नाम से मु0 खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएलडब्ल्यू के खाता सख्या 13/38 के पत्थर नंबर 34/241 (71) के किला नंबर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 15/5, 15/6 की कुल 2.720 है0 में से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का नाम परमिन्दर सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह दर्ज है। जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी का **नाम** सहबन से परमिन्दर सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम प्रविन्दर **सिंह** है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह क[illegible] आधार कार्ड, **राशन कार्ड, बैंक** पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम प्रवि[illegible] है।

यह कि प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र [illegible]त कृषि भूमि में परमि[illegible]ंह दर्ज होने के कारण प्रार्थी को केसीसी लेने, कृषि भूमि मे [illegible]ूबवैल **पर विद्युत कनैक्**[illegible]गी निर्माण करने, बीमा लेने आदि अन्य सरकारी सुविधाएं लेने में **काफी परेशानी होती है इसलिये** प्रार्थी अपना नाम परमिन्दर सिंह के स्थान पर प्रविन्दर सिंह **दर्ज करवाने का हकदार है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि अप्रार्थी जो कि भू धारक है तथा उक्त रिकार्ड की दुरूस्ती अप्रार्थी द्वारा ही की जानी है इस कारण पक्षकार बनाया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 बीएलडब्ल्यू के खाता संख्या 124/51 के पत्थर नंबर 33/240 (12) के किला नंबर 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 19 ता 22/1 व पत्थर नंबर 34/240 (13) किला नंबर 1, 2/1, 16/5, 16/6, 21 ता 24 की इस प्रकार कुल 4.9075 है0 में से प्रार्थी 369/3926 नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता व खाता सख्या 46/23 पत्थर नंबर 35/247 (43) किला नंबर 3/1, 8 व पत्थर नंबर 36/246 (41) किला नंबर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 2.720 है0 में से 1/2 हिस्सा अनकमाण्ड व चक 6 बीएलडब्ल्यू के खाता सख्या 13/38 के पत्थर नंबर 34/241 (71) के किला नंबर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 15/5, 15/6 की कुल 2.720 है0 में से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खातेदारी भूमि के दोनो चको में प्रार्थी का नाम परमिन्दर सिंह के स्थान पर प्रविन्दर सिंह दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी /तहसीलदार पीलीबंगा को वास्ते रिपोर्ट पत्र जारी किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 2177 दिनांक 08.07.2025 प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी का नाम परमिन्दर सिंह व प्रविन्दर सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों 10 वीं मार्कशीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम प्रविन्दर सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में परमिन्दर सिंह है जिसे दुरूस्त करवाकर प्रार्थी अन्य दस्तावेजों के समान राजस्व रिकार्ड में भी प्रविन्दर सिंह करवाना चाहता है तथा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी यदि राजस्व रिकार्ड में परमिन्दर सिंह के स्थान पर प्रविन्दर सिंह दुरूस्त किया जावे तो किसी के हक व हिस्सा व स्वावित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा चक 5 बीएलडब्ल्यू के खाता संख्या 124 के सहखातेदारों गगनदीप कौर, गुरजंनट सिंह, राजविन्द्र कोर ने अपना संयुक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी का नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संयुक्त खाता में रिकार्डिड खातेदार है तथा सहखातेदारों ने प्रार्थी का नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं की है। उक्तानुसार प्रार्थी का नाम परमिन्दर सिंह के स्थान पर प्रविन्दर सिंह किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 5 बीएलडब्ल्यू के खाता सख्या 124/51 तादादी 4.9075 है0 व इसी चक के खाता संख्या 46/23 तादादी 2.720 है0 व चक 6 बीएलडब्ल्यू के खाता सख्या 13/38 तादादी 2.720 है0 में प्रार्थी का नाम ''परमिन्दर सिंह'' के स्थान पर ''प्रविन्दर सिंह'' अंकित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि जांच कर स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नम्बर से कम की [illegible] दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 03/09/2025 बरे ईजलास [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:23 IST
Reason: SelfAttested

( उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एव
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीलीबंगा